दिनांक–12.02.2025 को श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यों की समीक्षा हेतु की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–12.02.2025 को सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलाजारबाग, पटना, विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं अवर सचिव और निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों, कर्मियों की उपस्थिति में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय अन्तर्गत चल रहे कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

समीक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत हैः–

1. **विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के ऑनलाईन क्रियान्वयन से सम्बन्धित सर्वर की समस्या** :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से सम्बन्धित सर्वर में प्रमण्डलवार विभक्तीकरण का कार्य प्रगति पर है और अब तक भागलपुर, पटना, मुंगेर तथा पूर्णियाँ प्रमण्डल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्त्तमान में किए गए कार्य से इन प्रमण्डलों में प्रपत्र–5 एवं प्रपत्र 6 के ऑनलाईन संधारण का कार्य निर्बाध गति से किया जा सकता है। इन प्रमण्डलों में ऑनलाईन प्रपत्र–2 के समर्पण की सुविधा सभी प्रमण्डलों का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एक साथ सभी प्रमण्डलों में दिनांक–22.02.2025 के बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उक्त के आलोक में निम्नवत निदेश दिए गए :–

(i) जिन प्रमण्डलों में सर्वर की समस्या दूर कर ली गई है, वहाँ से सम्बन्धित सभी नोडल सभी सम्बन्धित जिलों में प्रपत्र–5 के संधारण का कार्य 10 दिनों में पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– नोडल पदाधिकारी, भागलपुर, मुंगेर, पटना एवं पूर्णियाँ प्रमण्डल)

(ii) शेष प्रमण्डलों के सर्वर विभक्तीकरण दिनांक–25.02.2025 तक पूर्ण करने का निदेश।

(अनुपालन– प्रिंस कुमार एवं कुणाल किशोर, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल)

(iii) महाप्रबन्धक, बेल्ट्रॉन, पटना को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के लिए State Data Centre में उपलब्ध कराए गए सर्वर का रख–रखाव करने के लिए 02 (दो दक्ष) कर्मियों को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के व्यय पर रखने हेतु पत्र दिया जाए।

(अनुपालन– प्रशाखा पदाधिकारी / आई0टी0 सेल)

(iv) जिन प्रमण्डलों में सर्वर से सम्बन्धित कार्य पूर्ण हो गया है, वहाँ के बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हुए सर्वर के सही होने के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जाए।

(अनुपालन– विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(v) जिन प्रमण्डलों में सर्वर की समस्या दूर किए जाने के उपरान्त विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही है, वहाँ के नोडल पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलों से जिलावार समस्या की जानकारी प्राप्त कर लिखित में आई0टी0 सेल के प्रोग्रामर, श्री कुणाल किशोर एवं श्री प्रिंस कुमार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(vi) सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को सर्वर सम्बन्धी समस्या एवं निदान की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए निदेशित किया जाए कि प्रत्येक जिला अन्तर्गत प्रथम चरण के चयनित 20 जिलों के विशेष सर्वेक्षण कार्य के सन्दर्भ में, प्रत्येक शिविर स्तर पर जिन–जिन कागजातों/अभिलेखों इत्यादि को स्कैन अथवा डिजिटाइज्ड कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना था, उसे अभी तक किया गया है अथवा नहीं। इस आलोक में याददाश्त पंजी, प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन पूर्व एवं पश्चात पारित आदेश इत्यादि के सन्दर्भ में प्रगति की विशेष समीक्षा की जाए। इस संदर्भ में पत्र के द्वारा सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचित की जाए तथा अपलोड नहीं किये गये अभिलेखों के संदर्भ में कारण–पृच्छा की जाय तथा उनके अपलोड करने की व्यवस्था करने हेतु निदेशित किया जाये।

(अनुपालन– विशेष सर्वेक्षण शाखा/सभी नोडल पदाधिकारी)

2. **<u>प्रपत्र–20 में प्रकाशित अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को राज्य स्तर पर संरक्षित करने के सम्बन्ध में</u>** :– प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत अब तक 960 राजस्व ग्रामों को प्रकाशित कर दिया गया है। इनमें 661 राजस्व ग्रामों के सम्बन्ध में जाँचोपरान्त राज्य स्तरीय अधिसूचना निर्गत करने के सम्बन्ध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूची उपलब्ध कराई गई है। इन 661 राजस्व ग्रामों के मानचित्र एवं अंतिम अधिकार अभिलेख को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 यथा संशोधित, 2019 एवं 2024 के नियम–14(6) के आलोक में सम्बन्धित जिलों द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके उचित संधारण के संबंध में निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

उक्त के आलोक में निम्नवत निदेश दिए गए :–

(i) जिन राजस्व ग्रामों के अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र प्रपत्र–20 में प्रकाशित कर दिए गए हैं, उन्हें बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना में संरक्षित किया जाए। इस आलोक में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को आवश्यक व्यवस्था संधारित करने, आवश्यकतानुसार आधारभूत सुविधाओं यथा–आलमारी, बक्सा इत्यादि क्रय करने के लिए पत्र दिया जाए एवं आवश्यकता होने पर आवंटन भी उपलब्ध कराया जाए।

**(अनुपालन– अवर सचिव, भू–अभिलेख एवं परिमाप/
उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना)**

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन राजस्व ग्रामों को प्रपत्र–20 में अंतिम मानचित्र प्रकाशित कर दिए गए हैं, उनके पूर्व के सभी प्रक्रमों यथा–प्रारंभिक, ग्राम–सीमा

सत्यापन, खानापुरी, प्रारूप मानचित्र इत्यादि को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में तथा अधिकार–अभिलेख से संबंधित सभी दस्तावेज यथा– स्वघोषणा, प्रपत्र–5, याददाश्त पंजी, सुनवाई सम्बन्धी वाद/आदेश इत्यादि को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है अथवा नहीं। साथ ही इन ग्रामों के प्रक्रमवार मानचित्रों की मुद्रित प्रति को जिला स्तर पर संरक्षित किया गया है अथवा नहीं। प्रपत्र–20 में प्रकाशित राजस्व ग्रामों से सम्बन्धित सभी प्रकार के अभिलेख यथा–ग्राम अभिलेख, प्रपत्र–6, याददाश्त पंजी, वाद एवं आदेश संबंधी अभिलेख इत्यादि की प्रति को सूचीबद्ध करते हुए ग्रामवार संधारित कर जिला स्तर पर सुरक्षित किया गया है अथवा नहीं। अपलोड नहीं किये अभिलेखों को अपलोड कराने की व्यवस्था की जाय। प्रपत्र–20 में अंतिम अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र प्रकाशित ग्रामों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम–15 की उपधारा– 3–7 के आलोक में प्रपत्र–20 के उपरान्त की जानेवाली सुनवाई की प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के उपरान्त उपरोक्त ग्रामों के सभी अभिलेखों एवं मानचित्रों को राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का निदेश सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को दिया जाए।

(अनुपालन– सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी नोडल पदाधिकारी)

3. **<u>प्रपत्र–20 में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानिचत्र प्रकाशन उपरांत अंचल स्तरीय अनुवर्त्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में</u>**:– प्रतिवेदित किया गया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रपत्र–20 में प्रकशित अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को अंचल स्तर पर उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई प्रगति पर है। नये अधिकार–अभिलेख के आधार पर नई जमाबन्दी संधारित किए जाने की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय अपेक्षित है।

निदेशित किया गया कि विभिन्न जिलों से प्रपत्र–20 में प्राप्त अंतिम अधिकार–अभिलेख की डिजिटल प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आई0टी0 मैनेजर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा नई जमाबन्दी पंजी के संधारण में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि अंतिम–अभिलेख में प्रविष्टि की गई महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ भी जमाबन्दी पंजी में समाविष्ट हो गई हैं अथवा नहीं। नहीं की स्थिति में जमांबदी पंजी को प्लॉटबाईज रि–डिजाईन करने के संबंध में निदेशित किया गया (जैसे–भूमि का वर्गीकरण, चौहद्दी, इत्यादि)।

(अनुपालन– विशेष सर्वेक्षण कोषांग, एव आई0टी0 सेल भू–अभिलेख एवं परिमाप)

4. **<u>प्रपत्र–20 में प्रकाशित अंतिम अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र को रैयतों को उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में</u>**:– प्रतिवेदित किया गया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम–14 (6) के आलोक में रैयतों को प्रपत्र–20 में प्रकाशित अंतिम अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र की प्रति उपलब्ध कराई जानी है।

निदेशित किया गया कि चूंकि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा–14 के आलोक में सृजित अभिलेखों को डिजिटल प्रारूप में संधारित किया जाना है। अतः रैयतों को अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराया

जाए। इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से रैयतों को सूचित किया जाए कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत निम्नांकित ग्रामों के प्रपत्र–20 में अंतिम अधिकार अभिलेख की प्रति डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकता है एवं डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने के लिए भू–अभिलेख पोर्टल पर आवेदन दे सकता है।

(अनुपालन– सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी)

5. **<u>हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ किए जाने वाले MoU के सम्बन्ध में</u>:–**

(i) विशेष सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के प्रारंभिक मानचित्र में रफ् (डमी) खेसरा नं0 अंकित कर बन्दोबस्त कार्यालय को समर्पित करने से संबंधित प्रावधान को MoU में जोड़ने हेतु निदेशित किया गया।

(ii) MoU में प्रपत्र–20 तथा प्रपत्र–22 के बाद प्रकाशित मानचित्र को चार प्रतियों (हार्डकॉपी) के अतिरिक्त **OCR (Optical Character Recognition)** पी0डी0एफ फाईल (सॉफ्टकॉपी) में (डिजिटल हस्ताक्षर एवं आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु) बन्दोबस्त कार्यालय को समर्पित करने से संबंधित भाग को जोड़ने हेतु निदेशित किया गया।

(iii) MoU में समय पार के संबंध में अर्थ दंड का प्रावधान करने हेतु निदेशित किया गया।

(iv) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ किए जाने वाले एकरारनामा में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के प्रक्रमवार कार्य अन्तर्गत मानचित्रों को अपडेट कर समर्पित किए जाने के सम्बन्ध में पत्रांक–2606 दिनांक–31.08.2021 अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुरूप निर्धारित समय–सीमा को समाहित किया जाए। साथ ही इस संबंध में पत्र द्वारा सभी को सूचित किया जाए।

(v) प्रतिवेदित किया गया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के लिए निर्धारित दर में सरकार द्वारा संशोधन कराए जाने के पश्चात सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ MoU के सम्बन्ध में MoU का प्रारूप तैयार कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विधि परामर्शी, सुश्री श्रुति गोस्वामी को प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

(vi) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ किए जाने वाले MoU का अंतिम प्रारूप एक सप्ताह में उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन– विजय सम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0, विशेष सर्वेक्षण कोषांग)

6. **विशेष सर्वेक्षण <u>द्वितीय चरण</u> :–**

(i) द्वितीय चरण में प्रारंभ किए गए कार्य के अन्तर्गत प्रपत्र–5 के साथ–साथ खेसरों एवं स्वामित्व की अद्यतन स्थिति को संधारित करने के लिए बनाये गए अतिरिक्त प्रपत्र के संबंध में – प्रतिवेदित किया गया कि निदेशानुसार प्रपत्र–5 के साथ खेसरों की वर्त्तमान स्थिति एवं स्वामित्व निर्धारण की स्थिति संधारित करने के लिए निर्धारित किए गए प्रपत्र में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों, एस0 एस0 नक्शा का खेसरा संख्या, NIC से जमाबंदी नं0 तथा जमाबंदीदार का नाम एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर से प्रपत्र–5 सम्बन्धी आंकड़े को प्राप्त कर अमीनों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाना है। प्रोग्रामर, श्री कुणाल किशोर द्वारा बताया गया कि निर्धारित प्रपत्रों को दिनांक–13.02.2025 तक सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा Parent Child Realtion से संबंधित एरिया स्टेटमेंट देने हेतु Geo-Referencing डाटा निदेशालय से मांग की गई है।

(iii) एजेंसियों के दर संशोधन उपरान्त हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा विशेष सर्वेक्षण के द्वितीय चरण के 445 अंचलों में कार्य प्रारंभ किए जाने के सम्बन्ध में कोई कार्य–योजना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रक्रमवार एक निश्चित समय–सीमा के अन्दर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा मानचित्र अपडेशन का कार्य किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत निदेश दिए गएः–

(i) सभी प्रमण्डल के नोडल पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने प्रमण्डल अन्तर्गत जिलों में जहाँ जिस विगत सर्वेक्षण का प्रचलन है, उसकी सूचना निम्न प्रपत्र में यथाशीघ्र संकलित कर ली जाए।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल राजस्व ग्राम	कैडेस्ट्रल सर्वे आच्छादित ग्राम	रिविजनल सर्वे आच्छादित ग्राम	चकबंदी सर्वे आच्छादित ग्राम

(ii) प्रपत्र–5 के साथ संधारित किए गए अतिरिक्त प्रपत्र में यथाशीघ्र शिविरवार कार्य प्रारम्भ कर उसका सतत् अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं सभी प्रमण्डल के नोडल पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(iii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा द्वितीय चरण अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण शिविरों में उपलब्ध कराए जा रहे प्रथम मानचित्र में रफ नम्बरिंग कर खेसरा के रकबा के साथ उपलब्ध कराया जाए। समीक्षा के क्रम में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी ने द्वितीय चरण के 80 प्रतिशत प्रारंभिक नक्शा बिना रफ नम्बरिंग के बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करा दिया, इस संदर्भ में आई0आई0सी0 को पुनः रफ नम्बरिंग कर प्रारंभिक मानचित्र बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी अरहास तथा जी0आई0सी0 द्वारा द्वारा प्रारंभिक मानचित्र रफ नम्बरिंग के साथ उपलब्घ कराया गया है।

(अनुपालन– तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी)

(vi) सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में द्वितीय चरण के 445 अंचलों में अंचलवार कितने राजस्व ग्रामों के प्रथम मानचित्रों को अपलोड किया गया है, इसकी समीक्षा कर स्पष्ट प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए।

(V) विशेष सर्वेक्षण के दोनो चरणों में तीनो हवाई एजेसिंयों को आवंटित राजस्व ग्रामो में से कितने राजस्व ग्राम का प्रारंभिक मानचित्र बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है एवं कितने राजस्व ग्राम प्रारंभिक मानचित्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसकी भी सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं सभी नोडल पदाधिकारी)

7. **MIS Software संबंधित समीक्षा** :– समीक्षा के क्रम में MIS Portal की समीक्षा की गई। बैठक में सचिव महोदय की जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि 02 वर्षों के Renewal कार्य हेतु 5,60000/– + GST दर प्रतिवेदित किया गया है, जो क्रय समिति की सीमा 05 लाख रूपये के बाहर है, जिस कारण Renewal का कार्य नहीं कराया गया है। समीक्षा में पाया गया कि MIS Portal के Renewal नहीं होने के कारण जिला स्तर से MIS के माध्यग से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है एवं MIS प्रगति के अनुरूप जिलों एवं पदाधिकारियों की रैकिंग भी नहीं हो पा रही है। यथाशीघ्र Renewal नहीं होने की स्थिति में कुछ समय बाद पूर्व का MIS डाटा का छतिग्रस्त हो सकता है।

उपरोक्त के आलोक में सचिव महोदय द्वारा डाटा सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु निदेशालय स्तर से विकसित Survey MIS Monitoring System (MIS Portal) एवं URL का Server पर Host करने हेतु Renewal संबंधी कार्य तत्काल 01 वर्ष के लिए कोटेशन प्रकाशन के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेशित किया गया पूर्व के MIS के डेटा को Restore करना सुनिश्चित किया जाए। सभी नोडल एवं जिला के पदाधिकारियों द्वारा पूर्व से निर्धारित MIS कैलेण्डर का सख्ती से अनुपालन किया जाए। यदि किसी विशेष सर्वेक्षण कर्मी द्वारा MIS के माध्यम से प्रगति संधारित नहीं की जाती है तो उसका वेतन/मानदेय अवरूद्ध करने हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए।

(अनुपालन– आई0टी0 सेल लेखा शाखा, सभी नोडल पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

8. **मानचित्रों के जियोरेफरेन्सिंग एवं भू–नक्शा सॉफ्टवेयर पर अपलोडिंग की समीक्षा** :– प्रतिवेदित किया गया कि अब तक कैडेस्ट्रल सर्वे के कुल 67000 शीटों की जियोरेफरेन्सिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नव सृजित अचंलों का अलग से मानचित्र नहीं रहने के कारण कुछ सीटों के जियोरेफरेन्सिंग कार्य में बाधा आ रही हैं। यह भी बताया गया कि पूर्व में बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा 388 अंचलों के मानचित्रों का डिजिटाइजेशन किया गया था, जबकि वर्त्तमान में राज्य के 537 अंचल है, इस प्रकार 388 अंचलों के उपरांत नवसृजित किए गए 146 अंचलों के ग्रामों के मानचित्रों के जियोरेफरेन्सिंग में कठिनाई आ रही है। यह भी बताया गया कि जियोरेफरेन्सिंग किए गए मानचित्रों में कुल 63447 शीटों/40363 ग्रामों के मानचित्रों को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा चुका है।

निदेशित किया गया कि जिलावार कुल राजस्व ग्रामों की संख्या के साथ जिलावार जियोरेफरेन्सिंग ग्राम एवं भू–नक्शा सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए गए ग्रामों का विस्तृत जिलावार प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपस्थापित किया जाए। इस संबंध में दिल्ली NIC को मेल भी भेजा जाए।

(अनुपालन– आई0टी0 सेल लेखा शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

9. अपर मुख्य सचिव द्वारा सी0एस0/आर0एस0 एवं एस0एस0 मानचित्रों के Parent Child Relation से संबंधित Area Statement Excel Sheet में देने हेतु हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को निदेशित किया गया। साथ ही इस डाटा को प्रपत्र–5 के अतिरिक्त प्रपत्र से संबंद्ध करने हेतु श्री कुणाल किशोर एवं श्री प्रिंस कुमार, प्रोग्रामर को निदेशित किया गया।

(अनुपालन– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं कुणाल किशोर तथा प्रिंस कुमार, प्रोग्रामर)

10. **आवंटन व्यय एवं उपयोगिता की समीक्षा**:– प्रतिवेदित किया गया कि सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सभी आवंटन उपलब्ध करा दिए गए हैं। कुछ जिलों छोड़कर अन्य सभी जिलों से पूर्व में किए गए व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के भुगतान तथा अन्य सभी Invoice का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों से पूर्व में किए गए व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र प्राप्त किया जाए।

(अनुपालन– लेखापाल, बी0पी0एम0यू0, लेखा शाखा भू–अभिलेख एवं परिमाप)

10. **अन्यान्यः–** बैठक में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा बताया गया कि मानचित्रों की Door Step Delivery को और प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य स्तरीय/जिलास्टैंड एवं रेलवे प्लेटफॉर्म पर संचालित होने प्रचार माध्यमों का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार को हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्य की दर के पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में भूमि संसाधन मंत्रालय द्वारा पूर्व में की गई पृच्छाओं के अतिरिक्त कुछ और बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। भारत सरकार द्वारा नगरपालिका सर्वेक्षण हेतु देहरादून में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निदेशालय द्वारा 11 पदाधिकारियों का चयन कर भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रशिक्षण की तिथि अभी निर्धारित नहीं है।

उक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिए गए

(i) Door Step Delivery के बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर प्रचार के लिए राजस्व विभाग को अनुरोध पत्र दिया जाए।
(ii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के दर पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार से समन्वय कर दिनांक–20.02.2025 के बाद V.C के माध्यम से भारत सरकार के साथ बैठक की तिथि निर्धारित की जाए।
(iii) देहरादून में प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित होने के पूर्व विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
(iv) नक्शा कार्यक्रम 18.02.2025 को प्रारंभ किये जाने की सूचना दी गई। इस कार्यक्रम यथाशीघ्र बन्दोबस्त कार्यालय को आवंटन उपलब्ध कराते हुए कार्यक्रम संबंधी सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
(v) आई0आई0टी0, रूड़की से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण से संबंधित एक पी0पी0टी0 तैयार कर दिखाने के संबंध में निदेशित किया गया।
(vi) हाल में ही किये नई नियुक्तियों का स्थानांतरण R2R में करने हेतु अम्बु नाथ वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

e-Mail

स0सं0:–03/भू0अ0नि0–(04) वि0सर्वे0 –10/2022

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0–(04)वि0सर्वे0– 10/2022 ......10 SS............ **पटना, दिनांक:** 06/03/2025

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/03/25
विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0–(04)वि0सर्वे0– 10/2022 1085 पटना, दिनांक: 06/03/2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/ लेखा शाखा/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल/संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/03/25

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0–(04)वि0सर्वे0– 10/2022 1085 पटना, दिनांक: 06/03/2025

प्रतिलिपि : दीपक श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सलाहकार,/संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0/ विजय साम्रज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0/प्रिसं कुमार/कुणाल किशोर, प्रोग्रामर/हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ATPL, GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/03/25

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0–(04)वि0सर्वे0– 10/2022 1085 पटना, दिनांक: 06/03/2025

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/03/25

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0–(04)वि0सर्वे0– 10/2022 1085 पटना, दिनांक: 06/03/2025

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।

06/03/25

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0–(04)वि0सर्वे0– 10/2022 1085 पटना, दिनांक: 06/03/2025

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

06/03/25

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप